यह निरीक्षण प्रतिवेदन **महासेनानायक**, **होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय**, **देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय, प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

महासेनानायक, **होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय**, **देहरादून** 06/2016 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल, श्री पवन कोठारी, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री आनंद कुमार पांडेय, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 13.07.2018 से 20.07.2018 तक श्री नीरज च्रंगू, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी।

भाग-प्रथम

1- **<u>परिचयात्मक-</u>** इस कार्यालय की विगत लेखापरीक्षा श्री ललित थपलियाल**,** सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी एवं श्री पुष्कर**,** वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा 22.06.2016 से 25.06.2016 तक सम्पन्न की गयी थी**,** जिसमे माह 04/11 से 05/16 तक के अभिलेखों की जांच की गयी।

वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 06/2016 से 06/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी।

2.(i) इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्र- **समस्त उत्तराखंड**

(ii) (अ) विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत् हैः-

(रू लाख में)

	प्रारम्भिकअवशेष		स्थापना		गैरस्थापना		आधिक्य(+)	बचत(-)
	स्थापना	गैरस्थापना	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	23.30	21.33	284.6	270.15	-	-
2016-17	-	-	36.52	33.26	638.15	616.87	-	-
2017-18	-	-	94.41	88.03	614.56	308.63	-	-
2018-19 (जून 2018 तक)	-	-	106.65	29.27	418.61	14.45	-	-

(ब) Autonomous Bodies विगत तीन वर्षों में बजट आवटन एवं व्यय की स्थितिः निरंक।

(स) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण:-शून्य

(iii) इकाई को बजट आवंटन राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। गैर स्थापना व्यय को सम्मिलित न करते हुये इकाई "सी" श्रेणी की है।

विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत् हैः

कमांडेंट जनरल होमगार्ड एवं निदेशक-नागरिक सुरक्षा
डिप्टी कमांडेंट जनरल
वरिष्ठ स्टाफ अधिकारी
स्टाफ अधिकारी
सहायक उपमहासमादेष्टा होमगार्ड
सहायक उपमहासमादेष्टा नागरिक सुरक्षा
मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी

(iv) लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः लेखापरीक्षा में **महासेनानायक**, **होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय**, **देहरादून** की लेखापरीक्षा में लेन-देन-कम-अनुपाल को आच्दादित किया गया। समस्त स्वाधीन आहरण एवं वितरण अधिकारियों के निरीक्षण प्रतिवेदन पृथक-पृथक जारी किये जा रहे है। यह निरीक्षण प्रतिवेदन **महासेनानायक**, **होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय**, **देहरादून** की लेखा परीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह को विस्तृत जांच हेतु चयनित कियागया।

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा शर्ते) अधिनियम,1971 (डी.पी.सी. एक्ट, 1971) की धारा 13 एवं 16 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

भाग 2 (अ)

प्रस्तर 1: विभागीय उदासीनता व शिथिलता के कारण स्वय सेवको के आश्रितो को बीमा कंपनी से मिलने वाली ₹ 25 लाख की आर्थिक सहायता प्राप्त न होना, प्रविधानित बजट ₹40 लाख का उपयोग 5093 स्वय सेवको के बीमा दुर्घटना मे न कर स्वय सेवको व उनके आश्रितो को सुरक्षा बीमा से वंचित रखा जाना तथा कल्याण कोष के प्रकरणो के निस्तारण मे विलम्ब।

(क) Under the agreement with insurance companies, the Government was to pay insurance premium and insurance company was to pay insurance claims in respect of volunteers/non-salaried officers

Audit scrutiny of records revealed that the 5 [1] cases of insurance claims amounting to ₹ 25 lakh were pending out of which 3 cases were rejected by insurance companies due to late submission. Thus, one sided denial of claims on account of late submission by the department deprived 3 volunteers of insurance claimsand non-pursuance of rest cases timely deprived volunteers from timely receipt of insurance claims.

लेखापरीक्षा द्वारा ईकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर अवगत कराया कि स्वयसेवको के आश्रितो द्वारा विलम्ब से दस्तावेज़ कार्यालय को उपलब्ध कराये गए थे तथा बीमा कंपनी को नोटिस भेजा गया है जिस पर अंतिम निर्णय अभी तक कार्यालय में अप्राप्त है। कार्यालय का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है।

(ख) उपरोक्त के अतिरिक्त अभिलेखो मे यह भी पाया गया कि कार्यालय को वित्तीय वर्ष 2017-18 मे अनुदान संख्या 6- लेखा शीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाये 107 होम गार्ड्स -10 होम गार्डस बीमा प्रीमियम अदायगी हेतु **₹** 40 लाख प्रविधानित किया गया था लेकिन कार्यालय द्वारा इस धनराशि का उपयोग स्वय सेवको का दुर्घटना बीमा न करा के बीमा की धनराशि कल्याण कोष मे पुनर्विनियोग किये जाने हेतु शासन को लिखा था जो शासन द्वारा आतिथि (7/2018) तक नहीं किया गया है। अत: वर्ष 2017-18 मे प्रविधानित धनराशि **₹** 40 लाख विभागीय उदासीनता के कारण व्यपगत होने के कारण 5093 स्वय सेवको को 4/2/2018 से दुर्घटना बीमा न कर के उनके किसी हादसे के कारण दिव्यांगता व म्रत्यु होने पर आश्रितो को बीमा कंपनी से मिलने वाली आर्थिक सहायता व सुरक्षा से वंचित रखा गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा ईकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर अवगत कराया कि स्वय सेवको का दुर्घटना बीमा का प्रावधान एक कल्याणकारी अवधारणा है जिसके सापेक्ष ही बजट प्रावधान करवाया गया था लेकिन विभागीय लाभ के सापेक्ष अधिप्राप्ति के मौलिक सिद्धांत के अंतर्गत शासकीय धन के समुचित प्रतिलाभ लोकधन व्यय मे पर्याप्त सतर्कता एवं विभागीय दृष्टिकोण से उक्त टेंडर प्रक्रिया को निरस्त किया गया। उत्तर तर्कसंगत नहीं माना जा सकता है क्योकि विभाग लाभ की दृष्टि से प्रविधानित धनराशि को कल्याण कोष मे पुनविनियोग करना चाहता था जिस के लिए उनके द्वारा प्रस्ताव भी शासन को भेजा था साथ ही कार्यालय द्वारा

---

[1] 1.सुखदेव शर्मा s/o श्री रामचन्द्र शर्मा 2. श्री भवानी प्रसाद s/o स्वं श्री प्रेम लाल
3. श्री राजेन्द्र सिंह s/o श्री हरकू सिंह 4. श्री गुरदीप सिंह s/o श्री राम सिंह
5.श्री दिगम्बर सिंह s/o श्री शिवचरण सिंह

मार्च 2018 तक पुन: टेंडर प्रक्रिया के लिये प्रयास नही किये गये जिस कारण से स्वय सेवको का दुर्घटना बीमा आतिथि तक नहीं हो सका व ₹ 40 लाख व्यपगत हुआ।

(ग) कल्याण कोष के पत्रावली व अभिलेखो की जाँच मे पाया गया कि 16 स्वय सेवको के प्रकरण (13 सेवा पथक, 2 घायल/बीमार व 1 मृत्यु) आर्थिक सहायता हेतु 9 महीने से **1** वर्ष से निस्तारित नहीं किए गये थे इस के अतिरिक्त जो कमिया निराकरण हेतु कार्यालय द्वारा जिला **Commandant** होमगार्ड्स को सूचीबद्ध किए गये बिन्दु पर आतिथि (जुलाई 2018) तक उनके द्वारा अनुपालन नहीं किया गया है जिस कारण से आश्रितो तथा स्वयं सेवकों को समय पर आर्थिक सहायता पाने से वंचित रखा गया है।

लेखापरीक्षा द्वारा इकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर अवगत कराया गया कि जुलाई 2018 के अन्तिम सप्ताह मे होमगार्ड्स कल्याण कोष समिति की बैठक आयोजित कर प्रकरणो को निस्तारित किया जाना प्रस्तावित है। कार्यालय का उत्तर स्वतः ही लेखा परीक्षा बिन्दु की पुष्टि करता है कि आश्रितो तथा स्वय सेवको को समय पर आर्थिक सहायता पाने से वंचित रखा गया था।

अत:विभागीय उदासीनता व शिथिलता के कारण स्वय सेवको के आश्रितो को बीमा कंपनी से मिलने वाली ₹ 25 लाख की आर्थिक सहायता प्राप्त न होना, प्रविधानित बजट ₹40 लाख का उपयोग 5093 स्वय सेवको के बीमा दुर्घटना मे न कर स्वय सेवको व उनके आश्रितो को सुरक्षा बीमा से वंचित रखा जाना तथा कल्याण कोष के प्रकरणो के निस्तारण मे विलम्ब का प्रकरण शासन के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-II'ब'

प्रस्तर 1:- गुप्त सेवामद का लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र प्रस्तुत न किया जाना।

गुप्त व्यय से संबन्धित मामलों में वित्तीय हस्तपुस्तिका लेखानियम खंड 5 भाग 1 के पैरा 206 के अनुसार स्तम्भ 1 के मामलों में दिये गए अनुप्रमाणित अधिकारी प्रत्येक वर्ष में एक बार स्तम्भ 2 में दिये गए अधिकारी द्वारा नियत व्यय का ऑडिट किया जाए तथा निम्न वर्ष जिससे वह संबन्धित है 31 दिसंबर से पूर्व विहित प्रारूप में महालेखाकार को एक प्रमाण पत्र अग्रेषित किया जाए।

कार्यालय के अभिलेखों की जांच के दौरान पाया गया कि 2015-16 से 2017-18 तक गुप्त सेवा मद में निम्नवत व्यय किया गया :

वर्ष	**व्ययधनराशि (₹ लाख)**
2015-16	3.00
2016-17	5.00
2017-18	3.00
योग	**11.00**

उपरोक्त धनराशि के गुप्त सेवा मद में व्यय के सापेक्ष लेखापरीक्षा का प्रमाण पत्र महालेखाकार कार्यालय को प्रेषित नहीं किया गया था जो उपरोक्त वर्णित प्रविधानों का उल्लंघन था।

लेखा परीक्षा द्वारा इकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर उत्तर दिया गया कि पूर्व में किसी भी संप्रेक्षा दल द्वारा गोपनीय व्यय (गुप्त सेवा व्यय) पर अभिलेखों एवं प्रमाण पत्रों के संबंध में अवगत नहीं कराया गया। भविष्य में नियमानुसार प्रमाण पत्र प्रेषित कर दिया जाएगा। उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि नियमानुसार गुप्त व्यय मद में प्राप्त धनराशि का वार्षिक रूप से लेखापरीक्षा प्रमाण पत्र महालेखाकार को प्रस्तुत किया जाना चाहिए था।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग 2 (ब)</u>

प्रस्तर 2:- लम्बित प्रतिपूर्ति धनराशि ₹867.40 लाख।

As per provision contained in para 7.1 of the Compendium of Instructions 2007, the Government was entitled to 25 per cent financial assistance from GoI for raising, training and equipping the Civil Defence and also the expenditure incurred for maintaining law.

कार्यालय के अभिलेखो, पत्राचार, व्यय व बजट पत्रावली की जाँच मे पाया गया कि विगत 8 साल से भारत सरकार से 25% प्रतिपूर्ति की धनराशि लम्बित चली आ रही है। जिस का विवरण निम्न है।

1. होम गार्डस विभाग:: अनुदान संख्या 6- लेखा शीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाये 107 होम गार्ड्स-04 भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति (25% किए गए व्यय का) 2011-12 से 2015-2016 तक ₹ 436.89 लाख। **(वर्षावार लम्बित प्रतिपूर्ति का विवरण संलग्न)**
2. नागरिक सुरक्षा विभाग:: अनुदान संख्या 6- लेखा शीर्षक 2070-अन्य प्रशासनिक सेवाये 106 सिविल रक्षा -03 भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति (25% किए गए व्यय का) 2009 से 2016 तक 79.70 लाख। **(वर्षावार लम्बित प्रतिपूर्ति का विवरण संलग्न)**

अभिलेखो की जांच मे आगे पाया गया कि होम गार्डस विभाग के वर्ष 2015-16 मे देय प्रतिपूर्ति ₹108.13 लाख के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा मात्र ₹ 76.31 लाख (मार्च 2018) समायोजित किया (राज्य मे सीआईएसएफ़ की तैनाती के कारण समायोजित) जबकि वर्ष 2015-16 की शेष देय प्रतिपूर्ति व इसके पूर्व वर्षो के प्रतिपूर्ति की धनराशि ₹436.89 लाख आतिथि तक स्वीकृत नहीं की है। अभिलेखो मे आगे पाया गया कि भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की धनराशि ₹436.89 लाख किन कारणो से स्वीकृत नहीं की गयी है, के कारण स्पष्ट नहीं किए है और न ही विभाग द्वारा इस सम्बंध मे कारणो का पता किया गया है। प्रतिपूर्ति संबन्धित अभिलेख मे आगे यह भी पाया गया कि वर्ष 2016-17 व 2017-18 मे भी इस मद मे किए गये व्यय के अनुसार होम गार्डस विभाग की प्रतिपूर्ति धनराशि ₹312.77 लाख व नागरिक सुरक्षा विभाग की प्रतिपूर्ति धनराशि ₹38.04 लाख विभाग/राज्य को भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई/लम्बित है। अत: प्रतिपूर्ति धनराशि समय से प्राप्त न होने के कारण विगत कई वर्षो से राज्य कोष पर अनावश्यक ही अतिरिक्त भार वहन किया जा रहा है जिसको राज्य सरकार अन्य विकास कार्यो मे उपयोग कर सकती थी।

लेखापरीक्षा द्वारा ईकाई का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर अवगत कराया कि भारत सरकार द्वारा प्रतिपूर्ति की धनराशि किन कारणो से स्वीकृत नहीं की गयी है, के कारण स्पष्ट नहीं किए है तथा ऑडिट प्रमाण पत्र प्राप्त होने के उपरान्त भारत सरकार से 25% प्रतिपूर्ति की धनराशि हेतु राज्य सरकार के माध्यम से प्रेषित किया जायेगा। उत्तर तर्कसंगत नहीं है क्योकि para 7.2 of the Compendium of Instructions 2007 के अनुसार राज्य सरकार के माध्यम से बिना ऑडिट प्रमाण पत्र प्राप्त किये ही भारत सरकार से 25% प्रतिपूर्ति की धनराशि प्राप्त की जा सकती थी इस के अतिरिक्त पूर्व लम्बित धनराशि के सन्दर्भ मे विभाग द्वारा कारणो का भी पता नहीं किया था जिससे उनका निवारण समय से सुनिश्चित किया जा सकता।

अत: विगत कई वर्षो से भारत सरकार से 25% प्रतिपूर्ति की धनराशि ₹867.40 लाख लम्बित होने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है

होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा विभाग की लम्बित प्रतिपूर्तियां

होमगार्ड्स विभाग (रू लाख में)

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय	कुल व्यय का 25% केन्द्रांश	लम्बित प्रतिपूर्ति
2011-12	343.53	85.88	85.88
2012-13	368.89	92.22	92.22
2013-14	425.7	106.43	106.43
2014-15	482.15	120.54	120.54
2015-16	432.15	108.13	31.82*
2016-17	531.42	132.85	132.85
2017-18	719.69	179.92	179.92
योग	**3303.53**	**825.97**	**749.66**

* वर्ष 2015-16 में भारत सरकार द्वारा रू 76.31 लाख का समायोजन किया गया।

नागरिक सुरक्षा विभाग (रू लाख में)

वित्तीय वर्ष	कुल व्यय	कुल व्यय का 25% केन्द्रांश	लम्बित प्रतिपूर्ति
2009-10	34.93	8.73	8.73
2010-11	40.1	10.03	10.03
2011-12	40.28	10.07	10.07
2012-13	48.47	12.12	12.12
2013-14	52.6	13.15	13.15
2014-15	46.31	11.58	11.58
2015-16	56.09	14.02	14.02
2016-17	70.01	17.5	17.5
2017-18	82.16	20.54	20.54
योग	**470.95**	**117.74**	**117.74**

भाग 2 (ब)

प्रस्तरः3- विभाग द्वारा सेवाओं पर सेवाकर (Service tax) वसूल कर जमा न किया जाना।

Clarifications issued by the Service Tax Department in September 2011 provide that though the burden of Service Tax rests on the service recipient, the law requires the service provider to collect the tax from the service recipient on the services provided and deposit the same in the Government Account. Further, Para 7.2 and 7.3 envisaged that irrespective of whether the service provider receives the Service Tax from his client (service recipient) or not, he is legally bound to pay the due Service Tax in respect of the services rendered by him. However, the tax liability will be to the full extent on the total amount to be received by the service provider.

Audit Scrutiny of records revealed that Department did not levy Service Tax in respect of duty allowances of volunteers in Home Guards, engaged on commercial duty during the period 2016-18 as per table given below.

S.N.	Financial Year	No. of Homeguards outsourced to semi-govt. offices/PSUs	Wages realised
1	2016-17	462	1,91,730
2	2017-18	641	2,66,015
Total			4,57,745

The department outsourced home guards to various semi-govt. offices /PSUs and charged wages but didn't realise service tax instead it was observed that whenever department hired personals from UPNL (Uttarakahnd Purva Sainik Kalyan Nigam Ltd.), UPNL charged Service tax @ 15% and prior to implementation of GST, and thereafter @ 18% (9% CGST+9% SGST).

On this being pointed out, the department replied that as such the Homeguards department is neither constituted nor can be construed as a body, corporate, company, etc. undertaking commercial/business activities with the objective of earning profits, thereby the department in no way and certain terms be designated and construed as a service provider deploying homegaurds on outsourcing. The reply is not acceptable since it is not a matter of earning profits instead of that, it is a matter of realisation of service tax under service tax rules and is creditable to government revenue.

Therefore, the matter is being brought into the light of higher authorities.

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः4- शासन की उदासीनता तथा विभागीय शिथिलता के कारण भारत सरकार द्वारा अनुमोदित 3589 नए होमगार्ड्स का स्वीकृत नियतनन बढ़ाया जाना।

भारत सरकार, गृह मंत्रालय, महानिदेशालय नागरिक सुरक्षा के पत्रांक I- 35011/1/2012-DGCD(HG) दिनांकित 12/10/2012 में विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में होमगार्ड्स स्वयंसेवकों का स्वीकृत नियतन बढ़ाए जाने के संबंध में कार्यालय से सूचना मांगी गयी थी। किन्तु कार्यालय द्वारा कोई उत्तर न देने के कारण कार्यालय को अनुस्मारक-1 पत्रांक I-35011/1/2012-DGCD(HG) दिनांकित 16/11/2012 तथा अनुस्मारक-2 पत्रांक I-35011/1/2012-DGCD(HG) दिनांकित 19/12/2012 प्राप्त हुए। तत्पश्चात कार्यालय द्वारा सहायक महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को भेजे गए पत्रांक सीजी-93/होगा/2012/791 दिनांकित 28/12/2012 में उत्तराखंड हेतु होमगार्ड्स नियतन में 1979 की वृद्धि की मांग की गयी। लेकिन भारत सरकार, गृह मंत्रालय, महानिदेशालय नागरिक सुरक्षा द्वारा पुनः अपने पत्रांक I-35011/1/2015-DGCD (HG) दिनांकित 22/1/2015 में संशोधित नियतन के संबंध में सूचना मांगी गयी जिसके सापेक्ष कार्यालय द्वारा पत्रांक सीजी-93/होगा/2012/53 दिनांकित 9/4/2015 में होमगार्ड्स नियतन में 2091 की वृद्धि की मांग की गयी।

इसके पश्चात कार्यालय के पत्रांक सीजी-93/होगा/2012/328 दिनांकित 4/6/2015 के माध्यम से प्रमुख सचिव, गृह, उत्तराखंड शासन को पूर्व निर्धारित 2091 के स्थान पर कुल 3057 होमगार्ड्स बढ़ाए जाने की मांग की, जो पुनः कार्यालय के पत्रांक सीजी-93/होगा/2012/667 दिनांकित 20/8/2015 के माध्यम से बढ़ाकर 3589 कर दी गयी, जिसको भारत सरकार, गृह मंत्रालय, महानिदेशालय अग्नि सेवाएँ, नागरिक सुरक्षा, एवं होमगार्ड्स के पत्रांक I-35011/1/2014-DGCD(HG) दिनांकित 01/02/2016 के माध्यम से निम्न दो शर्तों के साथ स्वीकार किया गया:

1. बढ़ाए गए नियतन के संबंधमें सम्पूर्ण व्यय राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा।
2. महिलाओं को 10% आरक्षण दिया जाएगा जो 33% तक बढ़ाया जा सकेगा।

तत्पश्चात कार्यालय द्वारा उत्तराखंड शासन को विभिन्न अवसरों पर 3589 के नियतन बढ़ाने हेतु पत्राचार किया गया किन्तु इसका कोई स्पष्ट परिणाम नहीं निकला। इसके साथ ही 25/5/17 को तत्कालीन Commandant General Home Guard द्वारा नियतन बढ़ाए जाने के संबंध में टिप्पणी की गयी कि " हमे प्रतीक्षा करनी चाहिए, हमे औचित्य इत्यादि को बदलना होगा। पहले सेवा नियम, चयन नियम इत्यादि को संशोधित कराया जाए"। इस टिप्पणी के संबंध में पाया गया कि इस संदर्भ में कार्यालय द्वारा अभी तक कोई कारवाई नहीं की गयी है, तथा न ही इस संबंध के अनुपालन में कोई दस्तावेज़ पाये गए।

उक्त के संदर्भ मे लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर कार्यालय द्वारा बताया गया कि भारत सरकार द्वारा इस शर्त पर अनुमोदन प्रदान किया गया था कि 2070-107-04 के मानक मद-44 प्रशिक्षण व्यय में व्यय हुई धनराशि एवं अन्य व्यय के सापेक्ष 25% प्रतिपूर्ति नहीं की जाएगी। जिसको अनुमोदनार्थ उत्तराखंड शासन को यथा समय प्रेषित किया गया था, जो आतिथि तक अप्राप्त है। होमगार्ड्स, सेवा नियम/चयन नियम बनाए जाने हेतु प्रस्ताव वर्ष 2011-2012 में उत्तराखंड शासन को प्रेषित किया गया था, जो शासन में गतिमान है। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि दिनांक 25/5/17 को स्वयं विभाग द्वारा सेवा नियम एवं चयन नियम के

संशोधन के विषय में प्रस्ताव रखने के पश्चात भी इस दिशा की ओर कोई ठोस प्रयास नहीं किए गए जो विभागीय शिथिलता तथा उदासीनता को उजागर करता है। इस कारण विभाग की स्वयं की श्रमशक्ति आवश्यकताओं की पूर्ति नहीं हो पायी, यद्यपि जिसे भारत सरकार का अनुमोदन प्राप्त था।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग दो 'ब'

प्रस्तरः5- वर्दी/सामग्री का क्रय Rate Contract के आधार पर नही किया जाना।

उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली 2017 के अध्याय 1 के निर्देश 7 के अनुसार " For goods and items, which are identified as common user items and are needed on recurring basis by the various Departments and agencies of the Government, such Rate Contracts may be concluded by the designated Central Purchase Organization of the State Government or Administrative Departments of the State Government. All details of such Rate Contracts should be kept on the website of the department/Government. The department/organization shall ensure that the rate contract prices do not exceed either market prices or the prices quoted in other similar rate contracts in other organizations.

Ordinarily, rate contracts may be concluded for one year at a time. However, in case of goods which are subject to frequent price fluctuation or where prices tend to decline overtime, the validity of the rate contract may be kept for a shorter period and a close watch be kept over the market price of such goods. In special circumstances, the Department with the concurrence of Finance Department may be authorized to purchase goods on the basis of rate contracts, concluded by the central purchase organization of Government of India (For example DGS&D),

टुकड़ों में खर्च न करके, वस्तुओं को एक साथ क्रय करने संबंधी नियम, उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के अध्याय 1के निर्देश 3(10)) में प्रावधान है कि :

"Efforts shall be made to bulk the demands as far as practicable so as to achieve advantage of lower rates. A demand shall not be split to bring down the value of procurement nor divided into small quantities to make piecemeal purchases to avoid the necessity of obtaining the sanction of higher authority required with reference to the estimated value of the total demand."

लेखा अभिलेखो की जाँच मे पाया गया कि कार्यालय द्वारा वित्तीय नियमो का पालन नहीं किया गया जिसका बिन्दुवार विवरण निम्नवत है:

1. कार्यालय द्वारा कुल कितनी वर्दी व अन्य सामग्री की अवश्यकता है इसका आंकलन पूर्व मे नहीं किया गया है और न ही उक्त अनुसार क्रय किया गया है

2. क्रय को कई भागों में बांटा गया यद्यपि विभाग को वर्दी की लगातार (recurring) आवश्यकता होती है अतः इस संबंध में दर संविदा की जानी चाहिए थी, किन्तु विभाग द्वारा वर्दी के सभी मद बिना वित्तीय नियमों का पालन किए हुए पृथक-पृथक क्रय किए गए। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि

अधिकांश क्रय (8 मार्च से 20 मार्च तक) टुकड़ो मे बाँट कर मार्च माह किए गए जो कि rush of expenditure in March व बजट को exhaust किये जाने का प्रकरण प्रदर्शित करता है एवं वित्तीय नियमों के सर्वथा विपरीत है।

3. क्रय पत्रावलियों में जिलो में कुल माँग का पता नहीं चलता है।

4. क्रय पत्रावलियों एवं बजट पत्रावलियों की जांच के दौरान पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2016-17 एवं 2017-18 में विभाग द्वारा सामग्री संपूर्ति मद -31 में निम्नवत व्यय किया गया:

वित्तीय वर्ष	**वर्दी पर व्यय**
2016-17	699879
2017-18	14940227
कुल	**15640106**

5. लेखापरीक्षा की जाँच के दौरान विदित हुआ कि वित्तीय वर्ष 2017-18 में 31-सामग्री संपूर्ति मद के अंतर्गत वर्दी पर कुल व्यय ₹ 149.4 लाख का व्यय किया गया, यद्यपि विभाग को वर्दी की लगातार आवश्यकता होती है, किन्तु इस मद पर व्यय दर संविदा न कर, व्यय को कई भागों में कोटेशन/टैंडर के माध्यम से विभक्त कर किया गया, जिसका विवरण निम्नवत है:

क्र.सं.	क्रयादेश दिनाँक	क्रय की गयी सामग्री	दर प्रति सामग्री	संख्या/ मात्रा	कोटेशन/निविदा मूल्य	क्रय हेतु अपनाई गयी प्रक्रिया
1	14/3/2018	Shoulder badge	33.04	4675	1,54,462	कोटेशन
2	8/3/2018	Whistle Chord	35.70	4692	1,67,504	कोटेशन
3	15/3/2018	Socks Nylon	50.40	3355	1,69,092	कोटेशन
4	15/3/2018	Angola Shirt	997.50	150	1,49,625	कोटेशन
5	15/3/2018	Nylon belt	178.50	1400	2,49,900	कोटेशन
6	15/3/2018	coat combat	1522.50	153	2,32,943	कोटेशन
7	15/3/2018	Woolen cap	134.40	1378	1,85,203	कोटेशन
8	14/3/2018	Cane	418.95	530	2,22,044	कोटेशन
9	9/3/2018	Rain Suit	1039.50	1100	11,43,450	e-टैंडर
10	14/3/2018	Whistle	34.22	5250	1,79,655	कोटेशन
11	8/3/2018	DMS boot	1168.20	214	2,49,995	कोटेशन
12	14/3/2018	Jacket	1668.80	149	2,48,651	कोटेशन
13	**01/12/2017**	**Angola Shirt**	**997.5**	**3**	**2993**	**Direct purchase**
14	**21/11/2017**	**Nylon belt**	**199.5**	**150**	**29,925**	**Direct purchase**
15	**20/11/2017**	**PT shoes**	**304.5**	**130**	**39,585**	**Direct purchase**
16	**01/11/2017**	**Tericoat Pant**	**1288**	**3**	**3864**	**Direct purchase**
17	**05/12/2017**	**DMS boot**	**1168**	**1**	**1168**	**Direct purchase**
18	**27/11/2017**	**Woolen Socks**	**90**	**313**	**28,170**	**Direct purchase**
19	**21/11/2017**	**Cap**	**212.8**	**150**	**31,920**	**Direct purchase**
20	**21/11/2017**	**Jersey**	**724.50**	**130**	**94,185**	**कोटेशन**
21	15/3/2018	White arm gloves	236.25	870	2,05,538	कोटेशन
22	08/03/2018	Water bottle	671.42	372	2,49,768	कोटेशन
23	15/3/2018	Woolen gloves	240.45	260	62,517	कोटेशन
24	08/03/2018	Socks cotton	51.45	4525	2,32,811	कोटेशन
25	15/3/2018	Scarf	92.40	2549	2,35,528	कोटेशन
26	15/3/2018	Khaki Vardi	1690	3700	62,53,000	e-tender
27	15/3/2018	Woolen socks	57.75	3347	1,93,289	कोटेशन
28	15/3/2018	Jungle shoes	1522.20	55	83,721	कोटेशन
29	15/3/2018	Gum boots	1168.20	210	2,45,322	कोटेशन
30	8/3/2018	Mask	99.75	2322	2,31,620	कोटेशन
31	15/3/2018	Neck scarf	99.75	2367	2,36,108	कोटेशन
32	8/3/2018	Tent	49840	5	2,49,200	कोटेशन
33	15/3/2018	Dari	609	242	1,47,378	कोटेशन
34	15/3/2018	Torch	370	675	2,49,750	कोटेशन
35	-	**Miscellaneous items**	-	-	**24,80,343**	-
Total					**1,49,40,227**	

उपरोक्त क्रय के दौरान निम्नलिखित अनियमितताएँ पायी गईं:

1. यद्यपि विभाग को वर्दी से संबन्धित सभी मदों की लगातार आवश्यकता पड़ती रहती है, अतः सभी मदें एक साथ दर संविदा (Rate contract) न करके सामाग्री को विभक्त करके क्रय किया गया।

2. यद्यपि बजट आबंटन पूर्व में ही उपलब्ध हो चुका था किन्तु अधिकांश क्रय **(₹ 12228074-81.85%)** मार्च माह में (rush of expenditure in march) किया गया।

विभाग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किए जाने पर उत्तर दिया गया कि विभागीय वर्दी इत्यादि सामाग्री अधिप्राप्ति नियमावली के नियमों 33 (बिना कोटेशन), 34 (क्रय समिति के माध्यम से), 35 (e-टेंडर) के द्वारा किया जाता है।

उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि उपरोक्त क्रय दर संविदा के माध्यम से एक साथ किया जाना चाहिए था एवं मार्च बजट की उपलब्धतता होने के बावजूद भी अधिकांश क्रय मार्च 18 में किया गया, जो कि उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली के नियमों के सर्वथा विपरीत था।

अतःप्रकरण उच्च अधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर1:-</u> स्वीकृति के सापेक्ष कार्यालय के विभिन्न पदों का रिक्त रहना।

किसी भी कार्यालय में सुचारु रूप से कार्य करने हेतु स्वीकृत नियतन का विद्यमान रहना आवश्यक है। कार्यालय के स्वीकृत पदों के सापेक्ष उपलब्धता के संबंध में निम्नलिखित स्थिति पायी गयी:

As on (13./07/2018)

S.N.	Post	Sanctioned Strength	Men in position	Vacant
1	Deputy Commandant General	02	NIL	02
2	Senior Personal Assistant	01	NIL	01
3	Senior Assistant	04	NIL	04
4	Junior Assistant	04	01	03
5	Personal Assistant	02	NIL	02
6	Driver	02	01	01
7	Class IV	04	01	03

उपरोक्त तालिका मे रिक्त पदो मे मुख्यता वे पद शामिल है जो विभाग के सुचारु रूप से कार्य करने के उददेशयो की पूर्ति कराता है। इस संबंध में कार्यालय से पूछे जाने पर बताया गया कि रिक्तियों को भरने हेतु समय-समय पर अधीनस्थ सेवा चयन आयोग एवं लोक सेवा आयोग, तथा शासन को अधियाचन भेजा गया। विभाग का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इस संदर्भ में कोई अभिलेख लेखा परीक्षा को प्रस्तुत नही किया गया।

अतः प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

STAN

<u>प्रस्तर:-2-</u> अवमुक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज ₹ 3.80 लाख निर्माण इकाई द्वारा कार्यालय को न लौटाया जाना।

होमगार्डस एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय के भवन के विस्तारीकरण कार्य एवं अन्य कार्य हेतु शासनादेश संख्याः **1184/**एक्सएक्स(5)/**15-20(**न0सु0)/2010 टीसी-1 दिनांक 2**0**122016/द्वारा **₹** 166.48 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्राप्त हुई थी। निर्माण कार्य हेतु कार्य की प्राविधिक स्वीकृति परियोजना प्रबन्धक, निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल निगम, देहारादून द्वारा लागत ₹ **166.48** लाख (29/9/2016) की प्रदान की गयी थी। प्रस्तुत अभिलखो के अनुसार कार्य पर 6 जनवरी 2017 पर एम0ओ0यू0 किया गया था जिस के अनुसार विस्तारीकरण कार्य एवं अन्य कार्य प्रारम्भ **1**10-**1**2016- व कार्य समाप्ति की निर्धरित तिथि 31 जनवरी 2018 थी। आतिथि मे यह कार्य पूर्ण (मार्च 2018) किया जा चुका है। कार्यालय मे उपलब्ध अभिलेखो के अनुसार भवन निर्माण कार्य मे निम्न तथ्य प्रकाश मे आये:

- इस कार्य पर अवमुक्त धनराशि ₹ **166.48** लाख पर अर्जित ब्याज ₹ 3.80 लाख निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल निगम, देहरादून द्वारा कार्यालय को नहीं लोटाया गया था।

उपरोक्त के सम्बंध मे इंगित किये जाने पर कार्यालय द्वारा अवगत कराया गया कि अर्जित ब्याज ₹ 3.80 लाख निर्माण इकाई, उत्तराखंड पेयजल निगम, देहरादून से प्राप्त होना शेष है।
अवमुक्त धनराशि पर अर्जित ब्याज ₹ 3.80 लाख निर्माण इकाई द्वारा कार्यालय को न लोटाये जाने का प्रकरण उच्च अधिकारियों के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण-

निरीक्षणप्रतिवेदन संख्या	**भाग-2 'अ' प्रस्तरसंख्या**	**भाग-2 'ब' प्रस्तरसंख्या**	**STAN**
07/2016-17	शून्य प्रतिवेदन		

भाग-IV

इकाई के सर्वोतम कार्यः- शून्य

भाग-V

आभार

1- कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड़, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनाएं उपलब्ध कराने हेतु **महासेनानायक**, **होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय**, **देहरादून** तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है।

तथापि लेखापरीक्षा **में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः- शून्य**

2- सतत् अनियमितताये:-शून्य

3- लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयाध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1	श्री आर. एस. मीना	महासेनानायक	4/2/13	9/12/16
2.	श्री अशोक कुमार	महासेनानायक	9/12/16	25/8/17
3.	श्री आर. एस. मीना	महासेनानायक	26/8/17	वर्तमान तक

4. लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा आहरण एवं वितरण अधिकारी का कार्यभार वहन किया गया-

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**	
			कब से	**कब तक**
1	श्री राजीव बलोनी	व.स्टा.अ.	पिछली लेखापरीक्षा से	17/07/2017
2.	श्री अमिताभ श्रीवास्तव	व.स्टा.अ.	17/07/2017	20/03/2018
3	-यथा उपरोक्त-	व.स्टा.अ.	31/03/2018	वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति **महासेनानायक**, **होमगार्ड्स एवं नागरिक सुरक्षा मुख्यालय**, **देहरादून** को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उपमहालेखाकार/सामान्य क्षेत्र को प्रेषित कर दी जाय।

लेखापरीक्षा अधिकारी
सामान्य क्षेत्र